वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार पौड़ी गढ़वाल – 246123

प्रबन्ध परिषद् की दसवीं बैठक (आकस्मिक) का कार्यवृत्त

(Minutes of 10th Meeting of the Board of Management)

वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार की प्रबन्ध परिषद् की दसवीं बैठक (आकस्मिक) दिनांक 18 सितम्बर, 2021 को दून विश्वविद्यालय, देहरादून में सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति एवं प्रबन्ध परिषद् के अध्यक्ष प्रो. ए.के. कर्नाटक द्वारा की गई।

प्रबन्ध परिषद् की बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थेः–

1.	प्रो. ए.के. कर्नाटक कुलपति, वी.च.सिं.ग.उ.औ.एवं वा.वि.वि, भरसार	–	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन (प्रतिनिधि, एस.एस. टोलिया, संयुक्त सचिव, वित्त)	–	सदस्य
3.	डॉ. शैलेन्द्र राजन निदेशक, केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ (आई.सी.ए.आर. प्रतिनिधि)	–	सदस्य
4.	डॉ. एच.एस. बबेजा निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्यान निदेशालय, उत्तराखण्ड	–	सदस्य
5.	डॉ. प्रभात कुमार, प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक राष्ट्रीय समन्वयक, नाहेप, आई.सी.ए.आर. नई दिल्ली	–	सदस्य
6.	डा. प्रेम कुमार, निदेशक पशुपालन, पशुपालन निदेशालय, देहरादून, उत्तराखण्ड	–	सदस्य
7.	निदेशक कृषि, नंदा की चौकी, देहरादून (प्रतिनिधि, डॉ. के.सी. पाठक, अपर निदेशक)	–	सदस्य
8.	डा. एम.सी. नौटियाल, कृषि विशेषज्ञ देहरादून	–	सदस्य
9.	डा. कमल सिंह, पशुधन प्रजनक पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड लाईव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, देहरादून	–	सदस्य

कुलपति
वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड
औ0वा0वि0

10.	श्री प्रेम चन्द्र शर्मा प्रगतिशील किसान	–	सदस्य
11.	श्री लखेन्द्र गौंथियाल वित्त नियंत्रक, वी.च.सिं.ग.उ.औ.एवं वा.वि.वि, भरसार	–	सदस्य
12.	प्रो. वी.पी. खण्डूड़ी अधिष्ठाता, वानिकी महाविद्यालय, रानीचौरी	–	सदस्य
13.	डॉ. अमोल वशिष्ठ सह–निदेशक शोध, वी.च.सिं.ग.उ.औ.एवं वा.वि.वि, भरसार	–	सदस्य
14.	प्रो. बी.पी. नौटियाल अधिष्ठाता / कुलसचिव	–	सदस्य सचिव

बैठक के प्रारम्भ में मा. कुलपति महोदय / अध्यक्ष द्वारा सभी नव मनोनीत माननीय सदस्यों का स्वागत एवं परिचय दिया गया। तदोपरान्त कुलपति महोदय की आज्ञा पर कुलसचिव द्वारा कार्यसूची (Agenda) के आकस्मिक प्रस्ताव के साथ–साथ कुलपति की अनुमति उपरांत अतिरिक्त प्रस्तावों को एक–एक कर प्रबन्ध परिषद के सम्मुख विचारार्थ रखा गया।

कार्यवृत्त सं0 UUHF/BOM/10/01: **माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रबन्ध परिषद् के नव मनोनीत सदस्यों का स्वागत एवं परिचय।**

स्वागत एवं परिचय उपरांत मा. अध्यक्ष द्वारा सभी मा. सदस्यों को मा. परिषद् में उनके नामित होने के उपरांत शॉल एवं पुष्प भेंटकर सम्मानित किया गया।

कार्यवृत्त सं0 UUHF/BOM/10/02: **विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पदों पर भर्ती हेतु यू.जी.सी. 2018 विनियम एवं विश्वविद्यालय की परिनियमावली–2014 के अनुसार विषय विशेषज्ञ पैनल का अनुमोदन।**

विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति हेतु प्रक्रिया गतिमान है। शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति अति–आवश्यक है, जिससे कि विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों के साथ–साथ शोध एवं प्रसार गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। कोविड महामारी एवं लॉकडाउन के कारण प्रक्रिया में अनावश्यक विलम्ब हुआ है एवं वर्तमान परिस्थितियों तथा सम्भावित तृतीय कोविड लहर मध्यनजर यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक होगा कि नियुक्ति प्रक्रिया में पुनः व्यवधान उत्पन्न न हो।

कुलपति
वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड
औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय
भरसार, पौड़ी गढ़वाल–246123 (उत्तराखण्ड)

अतः कुलसचिव द्वारा पटल पर प्रस्तुत विषय विशेषज्ञों की सूची मा प्रबन्ध परिषद् द्वारा अनुमोदित की गई। एवं निर्देश दिये गये कि अनुमोदित सूची को मा. राज्यपाल/ कुलाधिपति महोदय को अन्तिम स्वीकृति हेतु यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जाय।

अतः मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सापेक्ष यह भी निर्देश दिये कि नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान यदि प्रक्रिया से सम्बन्धित प्रक्रियाओं हेतु परिषद की स्वीकृति आवश्यक हो ऐसी स्थिति में निर्णय हेतु कुलपति/ अध्यक्ष को अधिकृत समझा जाय तथा ऐसी सभी स्वीकृतियां मा. प्रबन्ध परिषद् की आगामी बैठक में संपुष्टि हेतु रखी जाय।

विश्वविद्यालय की आवश्यकता के मध्यनजर मा. परिषद् द्वारा शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति हेतु साक्षात्कार कराये जाने की अनुमति भी प्रदान की।

(कार्यवाही– निदेशक कार्मिक/कुलसचिव)

<u>कार्यवृत्त सं0 UUHF/BOM/10/03</u>: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव

<u>प्रतिपूरक कार्यवृत्त सं0 UUHF/BOM/10/03(01):</u> विश्वविद्यालय में पात्र वैज्ञानिकों/ सहायक प्राध्यापकों के कैरियर उन्नति प्रणाली (CAS) के तहत ग्रेड वेतन रू0 6000 से रू0 7000 हेतु यू. जी.सी. 2018 विनियम तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित समितियों की संस्तुतियों के मोहर बंद लिफाफों को मा. प्रबन्ध परिषद् के समक्ष खोले जाने एवं समिति की संस्तुतियों को स्वीकृति करने विषयक।

विश्वविद्यालय में कार्यरत वैज्ञानिकों/ सहायक प्राध्यापकों को यू.जी.सी. मानकों के अनुसार कैरियर उन्नति प्रणाली के तहत ग्रेड वेतन रू0 6000 से रू0 7000 में (लेवल 10 से लेवल 11) में पदोन्नति हेतु विश्वविद्यालय की मा. प्रबन्ध परिषद् की 9वीं बैठक के कार्यवृत्त संख्या 2020:09:03 द्वारा स्वीकृत ए.पी.आई. प्रारूप में सम्बन्धित वैज्ञानिकों/ सहायक प्राध्यापकों द्वारा निदेशक शैक्षणिक कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने के उपरांत सक्षम अधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा आवेदनों की जांच किये जाने के उपरांत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2018 के तहत् सक्षम अधिकारी द्वारा गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे। समिति द्वारा आवेदनों की जांच उपरांत संस्तुतियां मोहर बन्द लिफाफे में विश्वविद्यालय प्रशासन को प्रस्तुत की गई हैं। गठित समितियों की

कुलपति
वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड
औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय
भरसार, पौड़ी गढ़वाल-246123 (उत्तराखण्ड)

संस्तुतियों के मोहर बंद लिफाफों को खोले जाने एवं समिति की संस्तुतियों को स्वीकृति हेतु परिषद् के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने पर निम्न संस्तुतियां प्रदान की गई :–

मोहर बंद लिफाफों को खोलने के उपरांत समिति की संस्तुतियों का अवलोकन किया गया एवं CAS के तहत लेवल 10 (ग्रेड वेतन रू0 6000/) से लेवल 11 (ग्रेड वेतन रू0 7000/) में उच्चीकृत सहायक प्राध्यापकों/ वैज्ञानिकों की सूची निम्नानुसार अनुमोदित की गई है :–

क्र0 सं0	पदनाम	महाविद्यालय/ परियोजना का नाम	वर्तमान ग्रेड वेतन	उच्चीकृत ग्रेड वेतन	उच्चीकृत हेतु अर्ह अभ्यर्थी का नाम	उच्च ग्रेड वेतन पर अर्हता की तिथि
1	सहायक प्राध्यापक/ कनिष्ठ शोध अधिकारी (पादप सुरक्षा)	AICRP-Small Millet Improvement Project	6000/–	7000/–	डॉ लक्ष्मी रावत	23.09.2018
2	सहायक प्राध्यापक/ कनिष्ठ शोध अधिकारी (सस्य विज्ञान)	AICRP-Small Millet Improvement Project	6000/–	7000/–	डॉ. अजय कुमार	27.10.2018
3	सहायक प्राध्यापक (भौतिकी)	वनिकी महाविद्यालय, रानीचौरी	6000/–	7000/–	डॉ. मनोज कुमार रियाल	27.11.2019

परिषद् द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि भविष्य में CAS के अन्तर्गत ऐसी सभी पदोन्नतियों (ग्रेड वेतन रू0 6000 से रू0 8000) को यू.जी.सी./ आई.सी.ए.आर. मानकों के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा प्रक्रिया पूर्ण कर पदोन्नति स्वीकृति हेतु कुलपति को अधिकृत किया जाय तथा की गई पदोन्नतियों को मा. प्रबन्ध परिषद् की आगामी बैठक में संपुष्टि हेतु रखा जाय।

(कार्यवाही– अधिष्ठाता वानिकी महाविद्यालय/निदेशक शोध)

प्रतिपूरक कार्यवृत्त सं0 UUHF/BOM/10/03(02): विश्वविद्यालय में शैक्षिक पदों पर हुई नियुक्तियों के सापेक्ष कार्यरत शिक्षकों/ वैज्ञानिकों की परीविक्षा अवधि पूर्ण किये जाने की सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति का संपुष्टिकरण।

विश्वविद्यालय में शैक्षिक पदों पर हुई नियुक्तियों के सापेक्ष कार्यरत शिक्षकों/वैज्ञानिकों की नियुक्ति उपरान्त एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने पर परिवीक्षा काल के दौरान संतोषजनक सेवाओं की पुष्टि हेतु शिक्षकों द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत किया गया था। तत्क्रम में सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा अवधि में नियुक्त शिक्षकों/ वैज्ञानिकों द्वारा की गई सेवाओं के संतोषजनक पाये जाने हेतु एक समिति गठित की गई थी। समिति की 28.07.2020 को हुई सम्पन्न बैठक में शिक्षकों/वैज्ञानिकों द्वारा

कुलपति
वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड
औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय
भरसार, पौड़ी गढ़ ...123 (उत्तराखण्ड)

परिवीक्षा अवधि में विश्वविद्यालय में की गई सेवाओं को संतोषजनक पाया गया एवं विश्वविद्यालय परिनियमावली 2014 के प्रस्तर संख्या 9(क) सेवा की शर्तें एवं निबन्धन (एक) एवं शिक्षक सेवा नियमावली, 2016 के भाग–6 नियुक्ति परिवीक्षा संख्या–16 के अनुसार परिविक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने की संस्तुति प्रदान की गई है। तत्क्रम में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति उपरान्त परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण मानते हुये विश्वविद्यालय में उनकी सेवाओं को नियमानुसार नियमित किया गया था एवं आदेशित किया गया था कि प्रकरण मा. प्रबन्ध परिषद् में संपुष्टि हेतु प्रस्तुत किये जायें।

अतः उपरोक्तानुसार परीविक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने सम्बन्धी स्वीकृति का मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा पुष्टिकरण किया गया।

(कार्यवाही–कुलसचिव)

<u>प्रतिपूरक कार्यवृत्त सं0 UUHF/BOM/10/03(03):</u> श्री वी.पी. जुगरान, लेखाधिकारी की उप वित्त नियंत्रक पद पर विभागीय पदोन्नति उपरांत संपुष्टिकरण प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय शिक्षणेत्तर सेवा नियमावली–2016 के अनुसार उप वित्त नियंत्रक की नियुक्ति शत–प्रतिशत पदोन्नति के माध्यम से की जानी थी। विश्वविद्यालय की मा. प्रबन्ध परिषद् की 9वीं बैठक में प्रतिपूरक प्रस्ताव संख्या 2020:09:33 (04) के द्वारा दिये दिशा–निर्देशों के अनुपालन एवं विश्वविद्यालय की परिनियमावली–2014 के प्रस्तर सख्या 4 (ख)(इ)(आठ) में विहित प्राविधानों के अनुसार विभागीय पदोन्नति हेतु सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति उपरांत विभागीय चयन समिति का गठन किया गया। समिति में 03 वाह्य सदस्य सम्मिलित थे, जिनमें से 01 राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य भी सम्मिलित थे। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 25 अगस्त, 2020 को सम्पन्न हुई, जिसमें श्री जुगरान समिति के समक्ष व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार हेतु प्रस्तुत हुये। समिति द्वारा श्री जुगरान के सेवा अभिलेखों का विस्तृत अवलोकन किया गया एवं श्री जुगरान द्वारा समिति के समक्ष संतोषजनक प्रदर्शन देने के उपरांत उनकी पदोन्नति लेखाधिकारी से उप वित्त नियंत्रक के पद (15600–39100 ग्रेड वेतन 6600) पर विभागीय पदोन्नति किये जाने की संस्तुति प्रदान की गई है एवं मा. प्रबन्ध परिषद् की 9वीं बैठक में प्रतिपूरक प्रस्ताव संख्या 2020:09:33 (04) के द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों के क्रम में पदोन्नति को संपुष्टि हेतु मा. प्रबन्ध परिषद् की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये। चयन समिति द्वारा शिक्षणेत्तर सेवा नियमावली–2016 के प्रस्तर संख्या 16. पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया के (क)–(ड़) के अनुपालन में चयनित अभ्यर्थियों की सूची (श्री जुगरान पदोन्नति हेतु एक मात्र अभ्यर्थी थे) नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित की गई। समिति की संस्तुति उपरांत मा. कुलपति महोदय द्वारा पदोन्नति हेतु प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। तत्पश्चात पदोन्नति को आगामी मा. प्रबन्ध परिषद् की बैठक में संपुष्टि विश्वविद्यालय की परिनियमावली–2014 के प्रस्तर सख्या 4 (ख)(इ)(आठ) के अनुपालन में मा. प्रबन्ध परिषद् की बैठक में पुष्टिकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।

मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा परिषद् में प्रस्तुत प्रस्ताव एवं विश्वविद्यालय की 18 सितम्बर, 2021 को आयोजित 6वीं वित्त समिति के कार्यवृत्त संख्या 2021:06:25 द्वारा दी गई स्वीकृति के क्रम में पदोन्नति के

कुलपति
वीर चन्द सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड
औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय
भरसार, पौड़ी गढ़वाल–246123 (उत्तराखण्ड)

पुष्टिकरण के साथ श्री जुगरान को पूर्व में दी गई 03 वार्षिक वेतन वृद्धियों की स्वीकृति प्रदान की गई एवं पदोन्नत पद पर वेतन निर्धारण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर भी स्वीकृति प्रदान की गई।

(कार्यवाही–वित्त नियंत्रक कार्यालय)

प्रतिपूरक कार्यवृत्त सं0 UUHF/BOM/10/03(04): एक गांव कन्सलटेंसी सर्विसेस प्रा.लि., नई दिल्ली एवं विश्वविद्यालय के मध्य इन्क्यूबेशन सेन्टर (Foundation of Himalayan Agri Technology Innovation & Entrepreneurship Park) हेतु किये गये समझौता ज्ञापन (MOU) एवं इन्क्यूबेशन सेन्टर विधिवत स्थापना का संपुष्टिकरण प्रस्ताव।

मा. प्रबन्ध परिषद् की नवीं बैठक के प्रस्ताव संख्या 2020:09:30 के द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा किये जा रहे शोध एवं विकास कार्यों एवं विकसित नई कृषि तकनीकों को किसानों तक पहुंचाने के लिए एक गाँव कन्सलटेन्सी सर्विस, नई दिल्ली के सहयोग से "*Foundation of Himalayan Agri Technology Innovation & Entrepreneurship Park*" नामक "इन्क्यूबेशन सेन्टर" की स्थापना गई है। जिसका लोकार्पण मा. कैबिनेट मंत्री, डॉ धन सिंह रावत जी द्वारा दिनांक 11.08.2021 को किया गया है। "इन्क्यूबेशन सेन्टर" के अन्तर्गत लगभग 20 करोड़ लागत की परियोजनाओं को संचालित करने का लक्ष्य है।

मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा इन्क्यूबेटर सेन्टर स्थापित किये जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की गई तथा पूर्व में स्वीकृति के क्रम में विश्वविद्यालय में इन्क्यूबेटर सेन्टर की स्थापना हेतु संपुष्टि प्रदान की गई।

(कार्यवाही–कुलसचिव)

प्रतिपूरक कार्यवृत्त सं0 UUHF/BOM/10/03(05): विश्वविद्यालय में NAHEP-IG, ICAR, NEW Delhi द्वारा स्वीकृत परियोजना के अन्तर्गत परियोजना अन्वेषक को Specific Delegation of Power सम्बन्धी प्रस्ताव संपुष्टि हेतु।

NAHEP-IG, ICAR, NEW Delhi द्वारा स्वीकृत परियोजना के सफल संचालन हेतु आई. सी.ए.आर. के पत्रांक शून्य दिनांक 28.09.2018 एवं पत्रांक F. No. ICAR/1-39/2018-NAHEP दिनांक 04.10.2018 के माध्यम से परियोजना के संचालन हेतु परियोजना अन्वेषक को Specific Delegation of Power प्रदान की गई हैं। उपरोक्तानुसार ही परियोजना को संचालित करने हेतु परियोजना अन्वेषक को प्रशासनिक एवं वित्तीय Power of Delegation दिये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान किये जाने एवं आई.सी.ए.आर. द्वारा उल्लखित पत्रांक का अवलोकन किये जाने के उपरांत मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा प्रस्ताव पर संपुष्टि प्रदान की।

(कार्यवाही–परियोजना अन्वेषक, नाहेप / वित्त नियंत्रक कार्यालय)

कुलपति
वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड
औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय
भरसार, पौड़ी ... 246123 (उत्तराखण्ड)

प्रतिपूरक कार्यवृत्त सं0 UUHF/BOM/10/03(06): विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पदों के कैरियर उन्नयन प्रणाली (CAS) हेतु पूर्व में ही यू.जी.सी. 2018 विनियम के अनुसार प्रार्थना पत्र एवं शैक्षणिक प्रदर्शन सूचंकाक प्रारूप (API) विश्वविद्यालय की मा. प्रबन्ध परिषद् की नवीं बैठक के प्रस्ताव संख्या 2020:09:04 द्वारा पूर्व से ही स्वीकृत है। स्वीकृत प्रारूप के अतिरिक्त कुछ आवश्यक बिन्दुओं पर सूचनायें भी अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत की जानी आवश्यक हैं, जिन्हें संलग्नक प्रारूप में अंकित किया गया हैं। इन अनुपूरक बिन्दुओं को प्रारूप में सम्मिलित करने हेतु विश्वविद्यालय की विद्धत परिषद् की 14वीं बैठक के कार्यवृत्त संख्या UUHF/AC/14/07 द्वारा पूर्व में ही स्वीकृत किया जा चुका है।

विद्धत परिषद् की 14वीं. बैठक के कार्यवृत्त संख्या UUHF/AC/14/07 एवं प्रस्ताव में संलग्न अतिरिक्त प्रारूप के अवलोकनोपरांत मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा इस आशय के साथ के संपुष्टि प्रदान की गई कि पूर्व में स्वीकृत CAS प्रारूप एवं शैक्षणिक प्रदर्शन सूचंकाक प्रारूप (API) यू.जी.सी. विनियम 2018 के साथ–साथ आई.सी.ए.आर. द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का समावेश किया जाय।

(कार्यवाही–कुलसचिव / निदेशक कार्मिक)

प्रतिपूरक कार्यवृत्त सं0 UUHF/BOM/10/03(07): विश्वविद्यालय के शोध एवं प्रसार केन्द्र, सेलाकुई में तारबाड़ के लिए शासनादेश सं. 375/XIII-4/21/12(09)/2016 कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग–4, दिनांक 19 मार्च, 2021 द्वारा रू0 70.80 लाख की धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत है कि स्वीकृत धनराशि के उपयोग करने से पूर्व विश्वविद्यालय की मा. प्रबन्ध परिषद् की स्वीकृति प्राप्त की जाय।

क्योंकि शोध एवं प्रसार केन्द्र, सेलाकुई में तारबाड़ का निर्माण किये जाने धनराशि शासन द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। अतः शासनादेश के क्रम में मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही–निदेशक परिसम्पत्ति / वित्त नियंत्रक कार्यालय)

प्रतिपूरक कार्यवृत्त सं0 UUHF/BOM/10/03(08): विश्वविद्यालय के शोध एवं प्रसार केन्द्र, गजा में माली प्रशिक्षण केन्द्र बनाये जाने हेतु उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड को भूमि स्थान्तरित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।

निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड से भूमि स्थान्तरित किये जाने का प्रस्ताव पत्र संख्या 1561/निर्माण/2021–22 दिनांक 11 अगस्त, 2021 के द्वारा प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव को विश्वविद्यालय की विद्धत परिषद् की 14वीं बैठक, जोकि दिनांक 16 अगस्त, 2021 को सम्पन्न हुई,

कुलपति
वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानि... ...िकी विश्वविद्यालय
भरसार, पौड़ी ...123 (उत्तराखण्ड)

के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। विद्वत परिषद् द्वारा प्रस्ताव राज्य सरकार के अधीन विभाग द्वारा प्रेषित किये जाने के कारण यह प्रस्तावित किया कि माली प्रशिक्षण केन्द्र भवन के निर्माण हेतु विश्वविद्यालय के गजा फार्म स्थित भूमि जोकि आई.टी.आई. भवन के समीप है को उक्त निर्माण हेतु दिया जा सकता है। परन्तु अन्तिम निर्णय विश्वविद्यालय की मा. प्रबन्ध परिषद् को लेना है।

मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा विद्वत परिषद् के 14वीं बैठक के कार्यवृत्त संख्या UUHF/AC/14/09 के अवलोकनोपरांत विद्वत परिषद् द्वारा दिये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरांत सहमति प्रदान की।

परिषद् द्वारा यह भी अपेक्षा की गई है कि भविष्य में विश्वविद्यालय भूमि अथवा अन्य संसाधनों के शासन द्वारा अधिग्रहण किये जाने से पूर्व शासन को विश्वविद्यालय की मा. प्रबन्ध परिषद् की स्वीकृति उपरांत ही अग्रिम कार्यवाही की जानी चाहिए।

(कार्यवाही—कुलसचिव)

<u>प्रतिपूरक कार्यवृत्त सं0 UUHF/BOM/10/03(09):</u> कुलपति आवास हेतु पहुंच मार्ग का निर्माण विश्वविद्यालय बचत से कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय स्थापना उपरांत लगभग 9वर्षों बाद मुख्य परिसर में लगभग रू0 325.77 करोड़ की लागत से कुलपति आवास/स्टाफ क्वाटर्स का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। कुलपति आवास परिसर में स्थित मुख्य सड़क से लगभग 1.00 किमी. की दूरी पर स्थित है, परन्तु पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है। आवास हेतु कोई अन्य वैकल्पिक सड़क/ पैदल मार्ग भी उपलब्ध नहीं है, जिस कारण कुलपति का आवास का उपयोग किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है तथा आगामी दिनों में आवास की सुरक्षा एवं रख—रखाव भी कठिन होगा, क्योंकि आवास आवासीय एवं शैक्षणिक परिसरों से दूर एकान्त जगह पर अवस्थित है। अतः पहुंच मार्ग का निर्माण किया जाना अति—आवश्यक है।

उक्त कार्य हेतु रू० 36.00 लाख की DPR / आगणन राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित है परन्तु वित्तीय वर्ष 2021—22 में उक्त कार्य हेतु शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि पूर्व के अपूर्ण कार्यो हेतु व्यय किये जाने के कारण धनराशि अवशेष नहीं है। इस सम्बन्ध में शासन से निरन्तर मांग की जाती रही है तथा विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2021—22 हेतु शासन को प्रस्तुत अनुपूरक मांग में भी उक्त कार्य हेतु धनराशि की मांग की गई थी, परन्तु शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है।

प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरांत एवं वित्त समिति की 6वीं बैठक के कार्यवृत्त संख्या 2021:06:17 में दी गई स्वीकृति के क्रम में प्रबन्ध परिषद् द्वारा सड़क निर्माण कार्य हेतु आवश्यक धनराशि को विश्वविद्यालय के बचत/ आय से किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

कुलपति
वीर चन्द सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड
औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय
भरसार, पौड़ी गढ़वाल—246123 (उत्तराखण्ड)

प्रतिपूरक कार्यवृत्त सं0 UUHF/BOM/10/03(10): डॉ. लक्ष्मी सहायक कनिष्ठ शोध अधिकारी (पादप सुरक्षा) की सेवाओं का स्वीकृत रिक्त सहायक प्राध्यापक के पद के सापेक्ष आमेलन किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

विश्वविद्यालय में कार्यरत डॉ. लक्ष्मी रावत, सहायक प्राध्यापक/ कनिष्ठ शोध अधिकारी (पादप सुरक्षा) का चयन विषय वस्तु विशेषज्ञ (पादप सुरक्षा) के.वी.के. टिहरी गढ़वाल में दिनांक 30.09.2013 को हुई एवं दिनांक 23.09.2014 को विश्वविद्यालय में AICRP परियोजना Small Millet के अन्तर्गत कनिष्ठ शोध अधिकारी (पादप सुरक्षा) के पद पर विश्वविद्यालय परनियमावली एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0) के तय मानकों के अनुरुप साक्षात्कार एवं चयन प्रक्रिया द्वारा एवं सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी विश्वविद्यालय प्रबंध परिषद की कार्यवृत्त संख्या 1/13 के क्रम में वेतनमान रू0 15600–39100, ग्रेड वेतन रू0 6000/– पर नियुक्ति प्रदान की गई थी। पद पर नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित विज्ञापन 04/2013/DR/AICRP/Scientist दिनांक 03.08.2013 में आवश्यक एवं अधिमानी अर्हतायें यू.जी.सी. द्वारा सहायक प्राध्यापक हेतु निर्धारित अर्हताओं के समरूप ही प्रकाशित की गई थी।

विश्वविद्यालय में कनिष्ठ शोध अधिकारी/ सहायक प्राध्यापक के पद पर लगभग 05 वर्षों से अधिक सेवा के बाद डॉ. लक्ष्मी रावत द्वारा दिनांक 01.02.2020 को उनकी सेवाओं का विश्वविद्यालय में स्वीकृत रिक्त सहायक प्राध्यापक (पादप सुरक्षा) के सापेक्ष वेतन आहरण/ आमेलन हेतु आवेदन किया गया। डॉ. लक्ष्मी रावत द्वारा विश्वविद्यालय में शोध एवं प्रसार कार्यों में योगदान के अतिरिक्त उनके द्वारा विश्वविद्यालय की अन्य गतिविधियों में दिये गये योगदान के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा उनकी सेवाओं के आमेलन का प्रस्ताव विश्वविद्यालय की मा. प्रबंध परिषद 9वीं बैठक में अवलोकनार्थ/ स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया। मा. परिषद् की 9वीं बैठक के कार्यवृत्त प्रतिपूरक प्रस्ताव संख्या 2020:09:30(03) द्वारा डॉ. लक्ष्मी के शोध एवं शिक्षण कार्यों में किये जा रहे योगदान के मध्यनजर उनकी सेवाओं का विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिक्त सहायक प्राध्यापक पर आमेलन/ वेतन स्त्रोत का परिवर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की एवं निर्देश दिये कि प्रस्ताव को उत्तराखण्ड शासन के प्रशासनिक विभाग में अवलोकनार्थ/सहमति हेतु प्रस्तुत किया जाय।

मा. प्रबन्ध परिषद् के निर्देश के अनुपालन में विश्वाविद्यालय द्वारा पत्रांक संख्या यू.यू.एच.एफ./रजि./645 दिनांक 21.05.2020 के द्वारा प्रस्ताव शासन के अभिमत/ सहमति हेतु प्रेषित किया गया था, जिसके क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा शासन को समय–समय पर शासन के पत्रांक 385/XIII–2/2020–02(12)/2020 कृषि एवं विपणन अनुभाग–2 दिनांक 20 जुलाई, 2020, पत्रांक 2199/XIII–1/2020–02(12)/2020 कृषि एवं विपणन अनुभाग–1 दिनांक 15 अक्टुबर, 2020, पत्रांक 760/XIII–4/2020–02(12)/ 2020 कृषि एवं विपणन अनुभाग–4 दिनांक 18 दिसम्बर, 2020, पत्रांक 174/XIII–4/ 2021–02(12)/2020 कृषि एवं विपणन अनुभाग–4 दिनांक 08 फरवरी, 2021 पत्र कृषि एवं विपणन अनुभाग–4 दिनांक 26 मार्च, 2021 इत्यादि द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित जानकारियां प्रस्तुत की गई।

कुलपति
वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड
औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय
भरसार, पौड़ी -246123 (उत्तराखण्ड)

प्रशासनिक विभाग द्वारा पत्रांक 1178/XIII–4/21/02(12)/2020 कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग–4 दिनांक 06 सितम्बर, 2021 के द्वारा डॉ0 लक्ष्मी रावत की सेवाओं का विश्वविद्यालय में स्वीकृत रिक्त सहायक प्राध्यापक के पर पर आमेलन किये जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा दी गई सैद्धान्तिक स्वीकृति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय स्तर पर नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु कहा गया है।

मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा शासन के उल्लेखित पत्र का संज्ञान लिया गया क्योकि आमेलन/वेतन स्त्रोत परिवर्तन का प्रस्ताव AICRP से विश्वविद्यालय में स्वीकृत पद पर प्रस्तावित है। अतः शासन के उपरोक्त पत्रांक के अनुसार नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु प्रबन्ध परिषद् द्वारा परिषद् के निम्न सदस्यों/नामित सदस्यों की समिति का गठन किया गया है। समिति इससे सम्बन्धित नियमों पर विस्तृत आख्या मा. प्रबन्ध परिषद् के समक्ष आवश्यक दिशा–निर्देश/संस्तुति हेतु प्रस्तुत करेगी।

समिति :–

1. डॉ. प्रभात कुमार – अध्यक्ष
2. श्री एस.एस. टोलिया, संयुक्त सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन – सदस्य
3. कुलसचिव, भरसार विवि. – सदस्य

(कार्यवाही–समिति/कुलसचिव)

<u>प्रतिपूरक कार्यवृत्त सं0 UUHF/BOM/10/03(11):</u> विश्वविद्यालय में स्थित परिसरों/ केन्द्रों हेतु सुरक्षा कार्मिकों को किसी देश/ प्रदेश की प्रतिष्ठित सुरक्षा ऐजेन्सियों से आउटसोर्स किये जाने के सम्बन्ध में।

वर्तमान में विश्वविद्यालय में सुरक्षा हेतु नियुक्त कार्मिक उपनल द्वारा आउटसोर्स किये जा रहे हैं। हालांकि, परिसरों/प्रक्षेत्रों/छात्रावासों की सुरक्षा में तैनात कार्मिकों द्वारा निरन्तर समझौता किया जाता है क्योंकि उपनल के माध्यम से आउटसोर्स अधिकांश सुरक्षाकर्मी/चौकीदार पड़ोसी गांवों से हैं एवं इन आउटसोर्स कार्मिकों में भूतपूर्व सैनिकों को छोड़कर अन्य कर्मियों के पास औपचारिक प्रशिक्षण/एक्सपोजर/ अनुभव नहीं है। अतः विद्यार्थियों की सुरक्षा तथा विभिन्न कार्यालयों / प्रक्षेत्रों/ छात्रावासों / केंद्रों / परिसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, सुरक्षा को पेशेवर ऐजेन्सियों/कार्मिकों की नियुक्ति हेतु प्रस्तावित किया गया है ताकि इस कार्य हेतु प्रशिक्षित और अनुभवी सुरक्षा एजेंसियों को काम पर रखकर विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाय।

प्रस्ताव को विश्वविद्यालय की विद्धत परिषद् की 14वीं बैठक दिनांक 16 अगस्त, 2021 जो सम्पन्न हुई, बैठक के कार्यवृत्त संख्या **<u>UUHF/AC/14/15</u>(1)** द्वारा अनुमोदित किये जाने के उपरांत विश्वविद्यालय की वित्त समिति की दिनांक 18.09.2021 को सम्पन्न 6वीं बैठक के कार्यवृत्त संख्या 2021:06:26 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।

कुलपति
वीर चन्द सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड
औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय
भरसार, पौड़ी गढ़वाल-246123 (उत्तराखण्ड)

विश्वविद्यालय परिसरों के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, घने जंगलों में मध्य अवस्थित होने तथा छात्रावासों सहित परिसर में सुरक्षा दीवार एवं अन्य सुरक्षा उपाय न होने के कारण विद्यार्थियों एवं परिसम्पत्ति/उत्पादों की सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रबन्ध परिषद् द्वारा देश/ प्रदेश की प्रतिष्ठित सुरक्षा ऐजेन्सियों से सुरक्षा व्यवस्था आउटसोर्स किये जाने को विश्वविद्यालय हित में अनुमति प्रदान की तथा निर्देश दिये कि इस अति–आवश्यक कार्य हेतु शासन से प्रतिवर्ष पृथक से धनराशि आवंटन सुनिश्चित करने हेतु अनुरोध/ प्रस्ताव भेजा जाय।

(कार्यवाही–वित्त नियंत्रक/कुलसचिव)

<u>प्रतिपूरक कार्यवृत्त सं0 UUHF/BOM/10/03(12):</u> विश्वविद्यालय की वित्त समिति की 6वीं बैठक के प्रस्ताव संख्या 2021:06:01 से 2021:06:28 तथा प्रतिपूरक प्रस्ताव संख्या 2021:06:29(1) एवं 2021:06:29(2) का पुष्टिकरण प्रस्ताव।

परिषद् में वित्त समिति की 6वीं बैठक के प्रस्ताव संख्या 2021:06:01 से 2021:06:28 तथा प्रतिपूरक प्रस्ताव संख्या 2021:06:29(1) एवं 2021:06:29(2) द्वारा लिये गये निर्णयों/ स्वीकृतियों को क्रमवार प्रस्तुत किया गया। मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा वित्त समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों को सम्यक् विचारोपरांत सहमति/स्वीकृति/ संपुष्टि प्रदान की गई।

(कार्यवाही–उपवित्त नियंत्रक/वित्त नियंत्रक)

अन्त में अध्यक्ष महोदय ने मा0 प्रबन्ध परिषद् के सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित किया एवं तदोपरान्त सदन की कार्यवाही समाप्त कर दी गई।

(प्रो0 बी0पी0 नौटियाल)
कुलसचिव/सदस्य–सचिव
प्रबन्ध परिषद

(प्रो0 ए0के0 कर्नाटक)
कुलपति/ अध्यक्ष
प्रबन्ध परिषद

कुलपति
वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड
औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय
भरसार, पौडी गढ़वाल–246123 (उत्तराखण्ड)